

निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश

स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक स्वा0वि0हरि0 2/307/2005-1 एचबी-111 दिनांक 31.01.2006 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार सिविल सर्जन, पानीपत द्वारा जारी कोनिक डिजिज प्रमाण-पत्र दिनांक 05.03.2021 के अनुसार श्री रोशन लाल (सेवानिवृत्त एस0ई0पी0ओ0) को फिक्स मैडिकल भत्ता दिनांक 06.03.2021 से बन्द करके ओपन मैडिकल की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि वह ओपन मैडिकल सुविधा प्राप्त करने के लिए 05.03.2021 से अब तक लिया गया फिक्स मैडिकल भत्ता कार्यालय में जमा करवाएगा तथा चालान की प्रति साथ ही पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी से लिखवाकर देगा की उसका फिक्स मैडिकल भत्ता बन्द कर दिया गया है।

चण्डीगढ़, दिनांक  
30.07.2020

रमेश चन्द्र बिढाण, आई0ए0एस0  
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

क्रमांक पी-1-2021/ 88286-90

दिनांक 19-8-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. खजाना अधिकारी, सफ़ीदों, जिला जीन्द।
3. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुरुग्राम को उनके पत्र क्रमांक 1205 दिनांक 15.06.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. श्री रोशन लाल, एस0ई0पी0ओ0 सेवानिवृत्त निवासी मकान नं0 148, सैक्टर 12 हुड्डा, पानीपत को भेजते हुए लिखा जाता है कि चालान की प्रतियां निदेशालय को भिजवाएं।
5. आई0टी0 सैल।

Regd

Regd

17/8/21

SA-11

Amits  
27/8/21

huop

R. Bala

अधीक्षक (पेंशन)

कृते: महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़